



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (शुक्र)

(सं० पटना 353) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 मार्च 2021

सं० 5 न०वि०/गठन-44/2020-1241/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बेगूसराय जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत तेघड़ा का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4357 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् तेघड़ा	गौड़ा-03-329 गौड़ा-04-329 गौड़ा-05-329 गौड़ा-06-329 दकदाद मधुरापुर-351 मधुरापुर-मुतलुपुर-349 मुतलुपुर-350 कसबा-348	गौड़ा-03, 04, 05 (पूर्ण भाग) तथा गौड़ा-06 एवं चकदाद मधुरापुर का आंशिक भाग (सभी पंचायत पूर्व से नगर पंचायत तेघड़ा में सम्मिलित है। कोई नया क्षेत्र सम्मिलित नहीं है)	उत्तर-भगवानपुर अंचल-290 (लखनपुर, 170 काजी रसलपुर दक्षिण-गंगा नदी-329 पूरब-बरौनी 01 पंचायत-335, 329 पश्चिम-विनलपुर, आधारपुर, नयानगर, भिखमचक -109, 123, 127	56234

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद तेघड़ा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 353-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>